

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—108/2022 (2022/365) वाद पत्र

अनवान

1—नारायणलाल पिता लोभचन्द तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1—कंचन पत्नि शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—गोपाललाल पिता शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—चान्दी पत्नि कालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—देउ पुत्री कालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—भगवानलाल पिता शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—भोली पत्नि प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—मदन पिता प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—राधा पुत्री कालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—लाडु पुत्री शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10—मांगु पिता मोडा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11—पारसमल पिता बरदीचन्द दर्जी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिय शाखा प्रबन्धक
- 13—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर –

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.01.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 12.07.2023 के द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम आसुणा, पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 856 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 857 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 858 रकबा 0.04 है0 आराजी संख्या 859 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 860 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 862 रकबा 0.15 है0 गै.मु. रास्ता सड़क, आराजी संख्या 863 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 864 रकबा 0.19 है0 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि में वादी का 9/101 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीटर्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 19.12.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुरार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



(Signature)

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 165 में प्रस्तावित आराजी संख्या 860 रकबा 0.07 है0 भूमि नारायणलाल पिता लोभचन्द तेली सा. पालरां खातेदार, प्रस्तावित आराजी संख्या 857 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 858 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 859 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 863 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 864 रकबा 0.19 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि कंचन पत्नि शंकर हि.270 / 8500 खाती, गोपाललाल पिता शंकर हि. 270 / 8500 खाती, चत्रुरभुज पिता मांगुलाल हि. 600 / 8500 बलाई, चान्दी पत्नि कालु हि. 1076 / 8500 खाती, जगदीशचन्द्र पिता जोधा हि. 300 / 8500 बलाई, देउ पुत्री कालु हि. 1076 / 8500 खाती, प्रकाशचन्द्र पिता रामलाल हि. 840 / 8500 गुर्जर, पुरणमल पिता जोधा हि. 300 / 8500 बलाई, भंगवानलाल पिता शंकर हि. 270 / 8500 खाती, भोली पत्नि प्रताप हि. 1076 / 8500 खाती, मदन पिता प्रताप हि. 1076 / 8500 खाती, राधा पुत्री कालु 1076 / 8500 खाती, लाडु पुत्री शंकर 270 / 8500 खाती खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 856 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 862 रकबा 0.15 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि पूर्ववत समस्त खातेदारों के हिस्सानुसार नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबोध सिंह चारण)

सहायक कमिश्नर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिल्ला वीजा बाड़ा



मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—108/2022 (2022/365) वाद पत्र

अनवान

1—नारायणलाल पिता लोभचन्द तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा वादी
बनाम

- 1—कंचन पत्नि शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—गोपाललाल पिता शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—चान्दी पत्नि कालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—देउ पुत्री कालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—भगवानलाल पिता शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—भोली पत्नि प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—मदन पिता प्रताप खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—राधा पुत्री कालु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—लाडु पुत्री शंकर खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10—मांगु पिता मोडा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11—पारसमल पिता बरदीचन्द दर्जी निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जरिय शाखा प्रबन्धक
- 13—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 165 मे प्रस्तावित आराजी संख्या 860 रकबा 0.07 है0 भूमि नारायणलाल पिता लोभचन्द तेली सा. पालरां खातेदार, प्रस्तावित आराजी संख्या 857 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 858 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 859 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 863 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 864 रकबा 0.19 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि कंचन पत्नि शंकर हि.270/8500 खाती, गोपाललाल पिता शंकर हि. 270/8500 खाती, चत्रुरभुज पिता मांगुलाल हि. 600/8500 बलाई, चान्दी पत्नि कालु हि. 1076/8500 खाती, जगदीशचन्द्र पिता जोधा हि. 300/8500 बलाई, देउ पुत्री कालु हि. 1076/8500 खाती, प्रकाशचन्द्र पिता रामलाल हि. 840/8500 गुर्जर, पुरणमल पिता जोधा हि. 300/8500 बलाई, भंगवानलाल पिता शंकर हि. 270/8500 खाती, भोली पत्नि प्रताप हि. 1076/8500 खाती, मदन पिता प्रताप हि. 1076/8500 खाती, राधा पुत्री कालु 1076/8500 खाती, लाडु पुत्री शंकर 270/8500 खाती खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 856 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 862 रकबा 0.15 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि पूर्ववत समस्त खातेदरो के हिस्सानुसार नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.01.2024 को न्यायालय मोहर एवं गेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, भीलवाड़ा